प्रति,

श्रीमान सहा. पुलिस उपायुक्त महोदय
मल्हारगंज
जिला इन्दौर

विषयः– धार्मिक आयोजन श्रीमद भागवत कथा एवं कलश यात्रा की अनुमति देने बाबद।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है, पूर्व की तरह इस वर्ष दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक दोप. 3 से शाम 6 बजे दलाल बाग में सुश्री जया किशोरी जी के मुखारबिंद से भव्य कथा का आयोजन कराया जाना है, जिसमें लगभग 5–10 हजार श्रद्धालुओ के शामिल होने की संभावना है। कलश यात्रा दिनांक 10 अक्टूबर प्रातः 10 बजे दलाल बाग से प्रारंभ होकर अग्रसेन नगर, बडा गणपति, कंडिलपुरा होते हुए दलाल बाग आऐगी।

अतः उक्त धार्मिक आयोजन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

Shukla
सागर संजय शुक्ला
94 बाणगंगा इन्दौर
मोबाईल नंबरः–89660–22222

थाना मल्हारगंज नगरीय पुलिस
क्रमांक.........
दिनांक.........
जिला इन्दौर (म.प्र.)

CamScanner

कार्यालय पुलिस थाना मल्हारगंज,जिला इंदौर

.../ 596 /अनुमति/2023 दिनांकः- 3 /10/2023

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
मल्हारगंज,शहर इंदौर

विषयः- दिनांक 10/10/2023 से दिनांक 20/10/2023 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा आयोजन एवं दिनांक 10/10/2023 को प्रातः 10 बजे से कलश यात्रा निकालने की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः- श्रीमान के आदेश के पालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आयोजक श्री सागर शुक्ला पिता संजय शुक्ला पता 94 बाणगंगा जिला इन्दौर मो.नं.89660-22222 के 10/10/2023 से दिनांक 20/10/2023 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा आयोजन एवं दिनांक 10/10/2023 को प्रातः 10 बजे से कलश यात्रा की अनुमति चाही गयी हैं। आयोजन दलाल बाग इन्दौर पर किया जावेगी एवं कलश यात्रा का मार्ग दलाल बाग से प्रारंभ होकर,अग्रसेन नगर, बडागणपति,कडीलपुरा होते हुये वापस दलाल बाग पर समापन होगा । आयोजक को सम्बधित थाना प्रभारी सम्बंधित एवं यातायात से प्राप्त अनुसंशा उपरान्त आयोजक को समयावधि में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों का पालन करते हुए अनुमति दिये जाने में कोई आपत्ति नही है।

1 आयोजन में माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की गाईड लाईन के आदेश का पालन करेंगे एवं आयोजन में विधिक निर्देशों का पालन करेंगे कोविड-19 की गाइड लाईन का पालन करेंगें।

2. आयोजन में 10 से15 हजार लोगो के सम्मिलित होने की संभावना है।

2.आयोजन में आग्नेय शस्त्र धारदार हथियार व अन्य धारदार हथियार जैसे कुल्हाडी तलवार लोहे के सरिये लेकर नही चलेंगे ना ही पटाखे इत्यादि चलायेंगे।

3.आयोजन में किसी प्रकार के ऐसे नारेबाजी शब्दों का प्रयोग नही करेंगे जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंचे।

4. आयोजन में आयोजक स्वयं उपस्थित रहेंगे किसी भी प्रकार के वाद विवाद होने पर आयोजक स्वमं जिम्मेदार रहेगे।

5. आयोजन में स्वयं के वालेंटियर लगायेंगे रोड के एक किनारे से वाहन पार्क नही करायेंगे आयोजक वाहन पार्किंग में लगवायेंगे।

6. आयोजन में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिब्धित हैं। ध्वनि की तीवृता 45 डेसीबल से अधिक न हो तथा दो से अधिक चिलम(स्पीकर) न हो। आयोजक को निर्देशित किया जाता हे कि रात्री 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही करेंगे ।

7. आयोजन में सुरक्षार्थ विडियो ग्राफी करवायेंगे एवं सीसीटीव्ही कैमरे लगवाएगें।

8. आयोजन में किसी भी प्रकार का यातायात मार्ग अवरुद्ध नही करेंगे तथा अपने स्वयं के वालेंटियर्स लगायेंगे। अनुमति अवधि समाप्त होने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेंगे यात्रा के समय का विशेष ध्यान रखेगें ।

09. आयोजन का दिनांक व समय माह अक्टूबर का होने से राज्य में विधान सभा चुनाव सम्पन्न होना हैं जिससे आदर्श आचार संहिता का लागू होना हैं।

10.आयोजक को आदर्श आचार संहिता की शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक हैं आयोजक को रिटर्निंग ऑफिसर (निर्वाचन अधिकारी) से भी आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।

11. यह अनुमति विधि व्यवस्था को देखते हुए अथवा शर्तो का पालन नही करने पर बिना कारण बताये अनुमति निरस्त की जावेगी उपरोक्त शर्तों का पालन करने की दशा में अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

थाना प्रभारी
थाना मल्हारगंज,इन्दौर

CamScanner

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त मल्हारगंज इंदौर

नगरीय पुलिस इंदौर, सुभाष मार्ग बडवाली चौकी, जिला इंदौर (म.प्र.)

0731-2459002 acpmalharganjindore@gmail.com

क्रमांक/ सपुआ/म.गंज/इंदौर/शहर/अनुमति/३२३ /2023 दिनांक- ०3.10.2023

प्रति,

श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय,
जोन-1 नगरीय पुलिस इंदौर

विषयः- धार्मिक आयोजन श्रीमद भागवत कथा एवं कलश यात्रा के संबंध में।

संदर्भः- श्रीमान जी के पत्र क्र.पु.उपा./इं/जोन-1/री-1/द्वितीय/269-ए/2023 दिनांक-18.09.23 के पालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषायांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि, आवेदक सागर पिता संजय शुक्ला निवासी-94, बाणगंगा इंदौर व्दारा दलाल बाग मल्हारगंज क्षेत्र में दिनांक-10.10.2023 से 20.10.2023 तक की अवधि में श्रीमद भागवत कथा के आयोजन हेतु अनुमति चाही गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी मल्हारगंज से अभिमत प्राप्त किया गया।

चूकिः उक्त आयोजन के समय माह अक्टुबर-2023 में राज्य विधान सभा चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू होना है। आयोजक को रिटर्निंग ऑफीसर (निर्वाचन अधिकारी) से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना उचित होगा।

प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

संलग्नः-थाना प्रभारी से प्राप्त अभिमत-----1

(विवेक सिंह चौहान)
सहायक पुलिस आयुक्त, मल्हारगंज
नगरीय पुलिस (शहर) इंदौर

CamScanner